

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

(आयकर)

का.आ. 3297(अ).—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 250 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (6ख) के अधीन बनाई गई पहचानविहीन स्कीम, 2020 को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित निदेश देती है, अर्थात्:-

1. अधिनियम के अध्याय 20 और धारा 2 के खंड (16क) धारा 120, धारा 129, धारा 131, धारा 133, धारा 134, धारा 136 के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, संशोधनों तथा उपांतरणों के अध्यधीन उक्त स्कीम के अनुसार अपील में प्रक्रिया पर लागू होंगे, और अर्थात्:

क. (1) उक्त स्कीम के पैरा 3 में यथा निर्दिष्ट अपील को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार उक्त स्कीम के अन्तर्गत निपटारा जाएगा अर्थात्:-

- (i) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र स्वतः आवटन प्रणाली के जरिए किसी एक प्रादेशिक पहचालविहीन अपील केंद्र में विनिर्दिष्ट अपील यूनिट को अपील सौपेगा;
- (ii) जहां अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 249 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद अपील फाइल की है, तो अपील यूनिट,-
 - (क) इस मामले में यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उक्त समय के भीतर अपील फाइल नहीं करने के लिए पर्याप्त हेतुक थे, अपील स्वीकार करे; अथवा
 - (ख) अन्य दूसरे मामले में, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र को सूचना देते हुए अपील रद्द कर दे;
- (iii) जहां अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 249 की उपधारा(4) की खण्ड(ख) के कार्यान्वयन से छूट के लिए आवेदन किया है, तो अपील यूनिट -
 - (क) अपील ग्रहण करे तथा अपीलार्थी को किसी वस्तु के लिए उक्त खण्ड के उपबंधों के क्रियान्वयन से छूट दे और लिखित में पर्याप्त कारण लेखबद्ध किया जाए; अथवा
 - (ख) किसी दूसरे अन्य मामले में, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र को सूचना देते हुए अपील रद्द कर दे
- (iv) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र अपीलार्थी को अपील की यथास्थिति, स्वीकार्यता अथवा निरस्तीकरण भी की सूचना देगा;
- (v) जहां अपील ग्रहण की गई है;-
 - (क) अपील यूनिट, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र से अपीलार्थी से अथवा किससी दूसरे व्यक्ति से दस्तावेज अथवा साक्ष्य जैसी आगे और सूचना प्राप्त करने का अनुरोध कर सकती है जैसा यह विनिर्दिष्ट कर सका ;
 - (ख) अपील यूनिट राष्ट्रीय अपील केंद्र में अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील अथवा सूचना, दस्तावेज अथवा साक्ष्य के आधार पर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी की रिपोर्ट, यथास्थिति, प्राप्त करने का अनुरोध कर सकती है,

- (ग) अपील यूनिट राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र उसे अधिनियम की धारा 250 की उपधारा(4) के अन्तर्गत और आगे और पूछताछ करने के लिए राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, को निर्देश देने तथा उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकती है;
- (घ) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र अपीलार्थी अथवा अन्य दूसरे व्यक्ति यथास्थिति, अथवा राष्ट्रीय ई-निर्धारण सेंटर अथवा कर निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, को ऐसी सूचना, दस्तावेज अथवा साक्ष्य अथवा रिपोर्ट, यथास्थिति, को विनिर्दिष्ट तारीख तथा समय पर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भेजेगी जो अपील यूनिट द्वारा विनिर्दिष्ट हों अथवा अपील प्रक्रियाओं से सुसंगत हों ;
- (vi) अपीलार्थी अथवा कोई दूसरा व्यक्ति यथास्थिति तारीख और, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर अथवा ऐसे विस्तारित समय जिसकी राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र के साथ उसकी ओर से किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञा दी जा सकती है, खण्ड(v) की उपखंड (घ) में निर्दिष्ट नोटिस का उत्तर फाइल करेगा;
- (vii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी यथास्थिति, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को खंड(v) की उपखंड(घ) में निर्दिष्ट नोटिस के उत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर अथवा ऐसे समय में, जिसे इस संदर्भ में आवेदन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- (viii) जहां अपीलार्थी अथवा किसी दूसरे व्यक्ति, यथास्थिति, उत्तर फाइल किया जाता है, अथवा राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी यथास्थिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र ऐसे उत्तर अथवा रिपोर्ट को अपील यूनिट को भेजेगा और जहां कोई इसमें अथवा रिपोर्ट नहीं भेजी गई है तो अपील यूनिट को सूचित करेगा;
- (ix) अपीलार्थी ऐसे प्ररूप में उसके द्वारा फाइल अपील में ऐसे आधार की चूक के लिए कारण या उसमें विनिर्दिष्ट करते हुए अपील का अतिरिक्त आधार फाइल कर सकता है जैसा कि राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;
- (x) जहां अपील का अतिरिक्त आधार फाइल किया गया है-
- (क): राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र अपील के अतिरिक्त आधारों को टिप्पणियां यदि कोई हैं, प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी यथास्थिति, तथा अपील यूनिट को भेजेगा;
- (ख) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, अपनी टीका-टिप्पणियां निर्धारित समय के भीतर अथवा ऐसे समय के भीतर जिसे उस ओर से किए गए आवेदन के आधार पर विस्तार किया जा सकता है, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को प्रस्तुत करेगा;
- (ग) जहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, टिप्पणियों फाइल की गई है, तो राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र ऐसी टिप्पणियों को अपील यूनिट को भेजेगा और जहां ऐसी टिप्पणियां फाइल नहीं की गई है तो अपील यूनिट को सूचित करेगा;
- (घ) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी यथास्थिति, से प्राप्त की गई टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करने के बाद अपील यूनिट लेखबद्ध करने किए जाने वाले कारणों के लिए
- (i) यदि यह समाधान हो जाता है कि अपील के प्ररूप से अतिरिक्त आधार की चूक जानपूछकर नहीं थी अथवा अपर्याप्त थी, ऐसे आधार को ग्रहण करे; अथवा
- (ii) किसी दूसरे मामले में अतिरिक्त आधार को ग्रहण न करे,
- राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र को सूचित करे ।

- (xi) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र अतिरिक्त आधार की ग्रहण अथवा निरस्त, यथास्थिति, अपीलार्थी को सूचित करे;
- (xii) अपीलार्थी राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी यथास्थिति, के समक्ष कार्यवाही के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को छोड़कर, अतिरिक्त साक्ष्य ऐसे प्ररूप में जिसे राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, उसमें विनिर्दिष्ट करते हुए कि कैसे उसका मामला नियम के नियम 46क के उपनियम(1) में विनिर्दिष्ट आपवादिक परिस्थिति द्वारा शामिल किया गया है, फाइल कर सकेगा।
- (xiii) जहां अतिरिक्त साक्ष्य फाइल किया गया है;
- (क) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र अतिरिक्त साक्ष्य को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी यथास्थिति, को नियम के नियम 46क के अन्तर्गत अतिरिक्त साक्ष्य की ग्रहण करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजेगा;
- (ख) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण तारीख और अधिकारी यथास्थिति, विनिर्दिष्ट समय के भीतर अथवा ऐसी विस्तरित अवधि के भीतर जिसकी अनुमति राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर दी जा सकती है, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जैसा उपखण्ड(क) में निर्दिष्ट है;
- (ग) जहां उपखण्ड(क) में यथा निर्दिष्ट राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तो राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र ऐसी रिपोर्ट को अपील यूनिट को भेजेगा और जहां ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है तो अपील यूनिट को सूचित करेगा;
- (घ) ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई है, पर विचार-विमर्श करने के पश्चात अपील यूनिट लिखिल में दर्ज होने वाले कारणों के लिए अतिरिक्त साक्ष्य को ग्रहण अथवा निरस्त कर सकती है और राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र को सूचित कर सकती है;
- (ङ) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र अतिरिक्त साक्ष्य की ग्रहण करने वाला व्यक्ति अथवा निरस्त यथास्थिति, को अपीलार्थी तथा राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी यथास्थिति, को सूचित करेगा;
- (xiv) जहां अतिरिक्त साक्ष्य को ग्रहण किया गया है-
- क) अपील यूनिट अपीली कार्यवाही में ऐसे साक्ष्य पर विचार करने से पूर्व राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी यथास्थिति, या उसमें तारीख और समय में विनिर्दिष्ट के मामले ऐसे साक्ष्य की जांच करने अथवा ऐसे साक्ष्य से प्रति परीक्षा करने, जिसे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किसी साक्ष्य अथवा साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज अथवा किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए एक नोटिस तैयार करेगी तथा उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और ऐसे नोटिस को राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र को भेजेगा;
- ख) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र उपखण्ड(क) में यथा निर्दिष्ट नोटिस केंद्र ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी यथास्थिति, को तालीम करेगा;

- ग) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी जैसा उपखण्ड(क) में यथा निर्दिष्ट रिपोर्ट विनिर्दिष्ट तारीख और सीमा के भीतर अथवा राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर यथा अनुज्ञा समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को प्रस्तुत करेगा;
- घ) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र राष्ट्रीय ई-निर्धारण अथवा निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अपील इकाई को भेजेगा अथवा जहां ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, अपील इकाई को सूचित करेगा।
- (xv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी यथास्थिति, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र को किसी दस्तावेज अथवा अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य को प्रस्तुत करने अथवा अपील कार्यवाहियों से यथा सुगत साक्षी की जांच के लिए निदेश दे सकता है;
- (xvi) जहां खण्ड(15) में निर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होता है-
- क) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र अपील यूनिट को ऐसा अनुरोध प्रेषित करेगा;
- ख) अपील यूनिट ऐसे अनुरोध पर विचार करेगा तथा यदि यह ठीक समझता है तो एक नोटिस तैयार करेगा जिसमें-
- (i) अपीलार्थी को ऐसे दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निदेश देगा जिसे वह विनिर्दिष्ट कर सकेगा;
- (ii) साक्षी होने के किसी अन्य व्यक्ति की जांच, तथा राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र को ऐसा नोटिस भेजेगा,
- ग) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र उपखण्ड(ख) में निर्दिष्ट साक्षी होने के नाते अपीलार्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति, जैसा को नोटिस तामील करेगा;
- घ) अपीलार्थी अथवा अन्य कोई व्यक्ति, यथास्थिति, नोटिस में उपखंड (ग) में निर्दिष्ट समय-सीमा अथवा इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर यथा अनुमत विस्तारित ऐसे समय के फाइल राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को नोटिस के संबंध में अपना उत्तर फाइल करेगा;
- ङ) जहां अपीलार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथास्थिति, उत्तर फाइल किया जाता है, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र अपील यूनिट को ऐसा उत्तर भेजेगा अथवा जहां कोई उत्तर फाइल नहीं किया जाता है, अपील यूनिट को सूचित करेगा;
- (xvii) जहां अपील यूनिट का निर्धारण अथवा शास्ति में वृद्धि करना अथवा प्रतिदाय की रकम कम करने का आशय रखता है -
- (क) अपील यूनिट ऐसी वृद्धि अथवा कमी, यथास्थिति, को दर्शाने वाला एक कारण बताओ नोटिस तैयार करेगा तथा ऐसे नोटिस को राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को भेजेगा;
- (ख) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र उपखण्ड(क) में यथा निर्दिष्ट नोटिस अपीलार्थी को भेजेगा;
- (ग) अपीलार्थी नोटिस में विनिर्दिष्ट समय अथवा इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर यथा अनुमत विस्तारित ऐसे समय के भीतर राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को अपना उत्तर फाइल करेगा;
- (घ) जहां अपीलार्थी द्वारा उत्तर फाइल किया जाता है, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र ऐसा उत्तर अपील यूनिट को भेजेगा अथवा जहां ऐसा कोई उक्त फाइल नहीं किया जाता है तो अपील यूनिट को सूचित करेगा;

(xviii) अभिलेख जिसमें अपीलार्थी अथवा अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, द्वारा दाखिल कोई उत्तर अथवा राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शामिल हैं, में उपलब्ध सुगत वस्तुगत तथ्य को ध्यान में रखने के उपरान्त तथा कार्यवाइयों जिसमें किसी बात के होते हुए कि ऐसा मामला अपील में नहीं उठाया गया, के विरुद्ध अपील किए गए आदेश में कार्यवाइयों से उत्पन्न होने वाले किसी मामले पर विचार करने के उपरान्त अपील यूनिट-

- क) अधिनियम की धारा 251 के उपबंधों के अनुसार, एक प्रारूप आदेश लिखित रूप में तैयार करेगी; और
- ख) शुरू की जाने वाल शास्ति कार्यवाइयों, यदि कोई हो, के ब्यौरों सहित ऐसा आदेश राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र को भेजेगा;

(xix) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र खण्ड(xviii) के उपखण्ड(क) में यथा निर्दिष्ट प्रारूप के प्राप्त होने के पश्चात करेगा:-

- क) जहां अपील में विवाद ग्रस्त मुद्दे के संदर्भ में सदेय अधिभार तथा उपकर सहित कर, शास्ति ब्याज अथवा फीस कुल राशि उक्त स्कीम के पैरा xiii के खण्ड(xi) में यथा निर्दिष्ट राशि से अधिक है, किसी एक प्रादेशिक पहचान विहीन अपील केंद्र में स्वतः आवटन प्रणाली के जरिए ऐसे आदेश की समीक्षा करने के लिए भेजेगा;
- ख) किसी दूसरे मामले में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार प्रारूप आदेश की जांच जिसमें स्वतः जांच साधन के माध्यम भी शामिल है, जसमें यह निर्णय लिया जा सकेगा-

- i) प्रारूप आदेश के अनुसार अपील को अंतिम रूप देना; अथवा
- ii) उस यूनिट के अलावा जिसने ऐसे आदेश तैयार किए, ऐसे आदेश की समीक्षा करने के लिए स्वतः आवटन प्रणाली के जरिए किसी एक प्रादेशिक पहचान विहीन अपील केंद्र में अपील यूनिट को प्रारूप आदेश भेजना;

(xx) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र द्वारा अपील यूनिट को संदर्भित प्रारूप आदेश की अपील यूनिट समीक्षा करेगी, जिसमें यह निर्णय किया जा सकता है-

- (क) प्रारूप आदेश पर सहमत होना और ऐसी सहमति के बारे में राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र को सूचित करना; अथवा
- (ख) मसौदा आदेश में ऐसे बदलाव का सुझाव देना जो यह ठीक मानता हो तथा अपने सुझावों को राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को भेजना ।

(xxi) अपील यूनिट की सहमति प्राप्त होने पर प्रादेशिक पहचान विहीन अपील केंद्र प्रारूप आदेश के अनुसार अपील को अंतिम रूप देना;

(xxii) अपील यूनिट से बदलाव के लिए सुझाव प्राप्त होने पर राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र स्वतः आवटन प्रणाली के जरिए किसी एक प्रादेशिक पहचान विहीन अपील केंद्र में उस अपील यूनिट से भिन्न अपील यूनिट को अपील सौंपेगा जिसने प्रारूप आदेश को तैयार किया अथवा समीक्षा की है।

(xxiii) अपील यूनिट, जिसको खण्ड(xxii) के अन्तर्गत अपील सौंपी गई है, बदलाव के लिए सुझावों पर विचारविमर्श करने के बाद-

- (क) जहां ऐसे सुझावों का आशय निर्धारण अथवा शास्ति को बढ़ाना अथवा प्रतिदाय की राशि को कम करना है, तो खण्ड(xvii) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित प्रारूप तैयार करें; अथवा

(ख) किसी अन्य मामले में खण्ड(xviii) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पुरक्षित प्रारूप आदेश तैयार करें; तथा ऐसे आदेश को शास्ति कार्यवाहियों, यदि कोई है, इसमें शुरू की जाती है, के व्यौरों के साथ राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को भेजें;

(xxiv) खण्ड (xix) अथवा खण्ड(xxi) की उपखण्ड(ख) की मद(क) के अनुसार अपील को अंतिम रूप देने अथवा खण्ड(xxiii) के अनुसार पुरक्षित प्रारूप आदेश की प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र अपील आदेश पास करेगा और -

- (क) ऐसे आदेश को अपीलार्थी को संप्रेषित करेगा;
- (ख) ऐसे आदेश को प्रधान मुख्य आयुक्त अथवा मुख्य आयुक्त अथवा प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त को अधिनियम की धारा 250 की उपधारा(7) के अनुसार संप्रेषित करेगा;
- (ग) ऐसे आदेश को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा कर निर्धारण अधिकारी को यथास्थिति, ऐसी कार्रवाई के लिए भेजेगा जो अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है;
- (घ) जहां आदेश में शास्ति शुरू करने की सिफारिश की गई है, अपीलार्थी को बुलाकर उसे नोटिस तामील करेगा यह जानने के लिए कि अधिनियम के सुसंगत उपाबंधों के अन्तर्गत क्यों न उस पर शास्ति अधिरोपित जाना चाहिए;

(2) उपपैरा (1) में निहित किसी के होते हुए भी, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के प्रभारी प्रधान मुख्य आयुक्त अथवा प्रधान महानिदेशक अपीली कार्यवाही के किसी भी चरण में यदि आवश्यक विचार है, कि बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से अपील को एक आदेश द्वारा ऐसे आयुक्त(अपील) को अंतरण कर सकता है जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सके।

(ख). (1) एक व्यक्ति को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उक्त स्कीम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के संबंध में राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र अथवा प्रादेशिक पहचान विहीन अपील केंद्र अथवा उक्त स्कीम के अन्तर्गत स्थापित अपील यूनिट में आयकर प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा।

(2) अपीलार्थी अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, यथास्थिति, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है ताकि उक्त स्कीम के अन्तर्गत वह अपना मौखिक कथन प्रस्तुत कर सके तथा अपील यूनिट के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सके।

(3) प्रादेशिक पहचान विहीन अपील केंद्र के प्रभारी मुख्यायुक्त अथवा महानिदेशक जिनके अधीन संबंधित अपील यूनिट की स्थापना की गई है, उपपैरा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध को अनुमोदित कर सकते हैं, यदि उनका यह राय है कि उक्त अनुरोध उक्त स्कीम के पैरा(xiii) के खण्ड(xi) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत आता है।

(4) जहां व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध प्रादेशिक पहचान विहीन अपील केंद्र के प्रभारी मुख्यायुक्त अथवा महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया है, ऐसी सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग अथवा विडियो टेलीफोनी के जरिए अनन्य रूप से की जाएगी जिसमें किसी संचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शामिल है जो बोर्ड द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार विडियो कांफ्रेंसिंग अथवा विडियो टेलीफोनी का समर्थन करता है;

(5) अपीलार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के कथन की कोई जांच अथवा रिकार्डिंग उक्त स्कीम के अन्तर्गत अपील यूनिट में आयुक्त(अपील) द्वारा अनन्य रूप से विडियो कांफ्रेंसिंग अथवा विडियो टेलीफोनी द्वारा की जाएगी जिसमें किसी संचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शामिल है जो बोर्ड द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार विडियो कांफ्रेंसिंग अथवा विडियो टेलीफोनी का समर्थन करता है।

(6) बोर्ड संचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो ऐसे स्थानों पर आवश्यक होने पर विडियो कांफ्रेंसिंग अथवा विडियो टेलीफोनी का समर्थन करता है, सहित विडियो कांफ्रेंसिंग अथवा विडियो टेलीफोनी के लिए उपयुक्त सुविधाएं

स्थापित करेगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपीलार्थी, अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को मात्र इस शर्त के आधार पर उक्त स्कीम के लाभ से वंचित न किया जा सके कि ऐसा अपीलार्थी अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा अन्य किसी व्यक्ति की पहुँच विडियो कांफ्रेंसिंग अथवा विडियो टेलीफोनी तक नहीं है।

“ग.(1) उक्त स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिकारिता क्षेत्र वाले निर्धारण अधिकारी के आयकर अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जाएगी।

(2) उक्त स्कीम के पैरा (3) के उपबंधों के अधीन जहाँ राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र अथवा आयुक्त (अपील) द्वारा पारित कोई आदेश अपास्त किया जाता है अथवा आयकर अपील अधिकरण अथवा उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र अथवा आयुक्त(अपील) को वापिस भेजा जाता है, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र उक्त स्कीम के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित करेगा।”

(2.) अधिनियम की धारा 140 तथा धारा 282क के उपबंधों निम्नलिखित अपवादों, संशोधनों तथा अनुकूलनों के अधीन उक्त स्कीम के अनुसार अपील कार्यवाहियों पर लागू होंगे, अर्थात:

कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख निम्नलिखित द्वारा प्रमाणित किया जाएगा-

(i) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र द्वारा अपने डिजीटल हस्ताक्षर लगाकर;

(ii) अपीलार्थी अथवा कोई अन्य व्यक्ति अपने डिजीटल हस्ताक्षर लगाकर के अपने नियमों के अधीन अपनी आय विवरणी अपने डिजीटल हस्ताक्षर से प्रस्तुत करनी अपेक्षित है, तथा किसी अन्य मामले में अपने डिजीटल हस्ताक्षर लगाकर के अथवा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड लगाकर के अपनी आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजन के लिए “इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का वही आशय होगा जैसा कि नियम के नियम 12 में निर्दिष्ट है।”

(3.) अधिनियम की धारा 155 के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, संशोधनों तथा अनुकूलनों के अधीन उक्त स्कीम के अनुसार पारित आदेशों पर लागू होंगे, अर्थात:

“(1)” अभिलेख से स्पष्ट किसी त्रुटि को संशोधित करने के लिए राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र लिखित रूप में पारित किए जाने वाले आदेश द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकता है;

(2) उक्त स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन उपपैरा (1) में उल्लिखित त्रुटि के सुधार के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को फाइल किया जा सकता है:-

(क) यथास्थिति, अपीलार्थी अथवा अन्य कोई व्यक्ति यथास्थिति; अथवा

(ख) प्रारूप आदेश को तैयार करने वाली अथवा समीक्षा करने वाली अथवा संशोधन करने वाली कोई अपील यूनिट

(ग) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति ।

(3) जहाँ उप पैरा (2) में निर्दिष्ट कोई आवेदन राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, यह ऐसे आवेदन को स्वचालित आबंटन प्रणाली के जरिए किए एक प्रादेशिक अपील केन्द्र में किसी विशिष्ट अपील यूनिट को भेजेगा।

(4) अपील यूनिट इस आवेदन की जांच करेगी तथा एक अवसर प्रदान करने के लिए नोटिस तैयार करेगी-

(क) अपीलार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, यथास्थिति, जहाँ आवेदन राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अथवा निर्धारण अधिकारी यथास्थिति, फाइल किया जाता है; अथवा

(ख) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अथवा निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, जहां आवेदन अपीलकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति यथास्थिति, फाइल किया गया है; अथवा

(ग) अपीलार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अथवा निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, जहां आवेदन किसी, उप पैरा (2) में निर्दिष्ट अपील यूनिट द्वारा फाइल किया गया है; तथा राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र को नोटिस भेजेगा।

(5) राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र उपपैरा (4) में निर्दिष्ट नोटिस अपीलार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति यथास्थिति, अथवा राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अथवा निर्धारण अधिकारी को जैसा भी हो, नोटिस भेजेगा तथा कारण बताओ कहने के लिए अनुरोध करेगा कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अन्तर्गत त्रुटियों की शुद्धि क्यों न कर दी जाए।

(6) अपीलार्थी अथवा कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, अथवा राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अथवा निर्धारण अधिकारी, जैसा भी मामला, हो ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय सीमा अथवा इस संबंध में दिए गए आवेदन के आधार पर अनुमत विस्तारित अवधि के भीतर राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र को नोटिस का उत्तर फाइल करेगा।

(7) जहां उपपैराग्राफ(vi) में संदर्भित उत्तर अपीलार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, अथवा राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अथवा निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा फाइल किया जाता है, राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र ऐसा उत्तर अपीलार्थी यूनिट को भेजेगा अथवा जहां ऐसा उत्तर दाखिल नहीं किया जाता है, अपील यूनिट को सूचित करेगा।

(8) अपीलार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अथवा निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा दाखिल आवेदन तथा उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद अपील यूनिट एक प्रारूप आदेश तैयार करेगी:-

(क) त्रुटि की शुद्धि के लिए, अथवा

(ख) उसके कारणों को दर्शाते हुए त्रुटि के लिए आवेदन को निरस्त करने के लिए; और आदेश राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र को भेजेगा।

(9) राष्ट्रीय पहचानविहिन केन्द्र उपपैरा (vii) में यथा निर्दिष्ट प्रारूप आदेश की प्राप्ति पर ऐसे प्रारूप के अनुसार आदेश पारित करेगा तथा ऐसे आदेशा संप्रेषित करेगा:-

(क) अपीलार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, यथास्थिति; तथा

(ख) अधिनियम के अन्तर्गत यथा अपेक्षित ऐसी कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अथवा निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति,

4. अधिनियम के अध्याय (xxi) के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, संशोधनों तथा अनुकूलनों के अधीन उक्त स्कीम के अनुसार अधिरोप्य शास्ति पर लागू होंगे;

“(1) अपील यूनिट अपीलार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, की ओर से उक्त स्कीम के अन्तर्गत जारी किसी नोटिस, निर्देश अथवा आदेश की गैर-अनुपालना के लिए कोई शास्ति कार्यवाही आरंभ करने के लिए सिफारिश राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र को भेज सकता है।

(2) राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र उपपैरा (1) के अन्तर्गत सिफारिश के प्राप्त होने पर अपीलार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, नोटिस भेजेगा तथा कारण बताओ नोटिस की मांग करेगा कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अन्तर्गत क्यों न उसके ऊपर शास्ति अधिरोपित कर दिया जाए।

(3) अपीलार्थी अथवा कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय, अथवा इस संबंध में आवेदन के आधार पर यथा अनुमत्त निस्तारित ऐसे समय के भीतर उक्त स्कीम के पैरा(5) के उपपैरा(1) के खण्ड (xxiv) के उपखण्ड(घ) में अथवा उपपैरा(2) में यथा निर्दिष्ट कारण बताओ नोटिस का उत्तर राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र को प्रस्तुत करेगा;

(4) राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र अपीलार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, द्वारा दाखिल उत्तर, यदि कोई हो, के साथ उपपैरा(1) में यथा निर्दिष्ट शास्ति कार्यवाहियों को शुरू करने के लिए सिफारिश स्वचालित आवंटन प्रणाली के जरिए किसी एक प्रादेशिक पहचालविहिन अपील केन्द्र में विशिष्ट अपील यूनिट को भेजेगा;

(5) अपीलार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, के द्वारा दाखिल उत्तर, यदि कोई हो, सहित अभिलेख में उपलब्ध सभी सुसंगत वस्तुगत तथ्य पर विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित को करेगा:-

(क) प्रारूप आदेश तैयार करेगी तथा ऐसे आदेश की प्रति राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र को भेजेगी;

(ख) राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र को सूचित करते हुए कारणों को दर्ज करने के उपरान्त शास्ति का समाप्त कर देगा।

(6) जहां अपील यूनिट ने शास्ति समाप्त किया है, राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र उससे संबंधित एक सूचना भेजेगा अथवा जहां अपील यूनिट प्रारूप आदेश भेजती है, राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र ऐसे प्रारूप के अनुसार शास्ति के अधिरोपण हेतु आदेश पारित करेगा तथा ऐसा आदेशा को सूचित करेगा।

(क) अपीलार्थी अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, तथा

(ख) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अथवा निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित हो।

5. अधिनियम की धारा 282, धारा 283 तथा धारा 284 के उपाबंध निम्नलिखित अपवादों, संशोधनों तथा अनुकूलनों के अधीन उक्त स्कीम के अन्तर्गत लागू होंगे अर्थात:-

क. (1) उक्त स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक नोटिस अथवा आदेश अथवा अन्य कोई इलैक्ट्रानिक संचार अपीलार्थी होने के नाते प्राप्तकर्ता को सौंपे जाएंगे-

(क) अपीलकर्ता के रजस्ट्रीकृत खाते में उसकी एक प्रमाणित प्रति रखकर अथवा

(ख) उसकी एक प्रमाणित प्रति अपीलार्थी के रजस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, अथवा

(ग) अपीलार्थी के मोबाईल एप पर प्रमाणित प्रति को अपलोड करके; तथा एक रियल टाइम चेतावनी जारी करके

(2) उक्त स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक नोटिस अथवा आदेशा अथवा कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संचार अन्य व्यक्ति होने के नाते प्राप्तकर्ता को उसकी प्रमाणित प्रति अथवा ऐसे व्यक्ति के रजस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर रियल टाइम चेतावनी के साथ भेज करके प्राप्तकर्ता को सुपुर्द किया जाएगा।

(3) अपीलार्थी अपने रजस्ट्रीकृत खाते के जरिए उक्त स्कीम के अन्तर्गत किसी नोटिस अथवा आदेश अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संचार का उत्तर फाइल करेगा तथा उत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुति के उपरान्त सृजित डैस परिणाम वाले राष्ट्रीय पहचालविहिन केन्द्र द्वारा पावती भेजे जाने के उपरान्त उत्तर को अधिप्रमाणित माना जाएगा।

(4) प्रेषण का समय तथा स्थान तथा इलैक्ट्रानिक अभिलेख की प्राप्ति का निर्धारण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(2000 का 21) की धारा 13 के उपाबंधों के अनुसार किया जाएगा।

ख. राष्ट्रीय पहचालविहिन अपील केन्द्र का प्रभारी प्रधान मुख्य आयुक्त अथवा प्रधान महानिदेशक बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से स्वचालित तथा मशीनीकृत पर्यावरण में उक्त स्कीम के अन्तर्गत स्थापित अपील यूनिट, प्रादेशिक पहचालविहिन

अपील केन्द्र तथा राष्ट्रीय फेसलेस अपील केन्द्र की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए प्रक्रिया प्रतिपादित करेगा जिसमें निम्नलिखित के संबंध में प्रारूप, रीति तथा प्रक्रिया शामिल है, अर्थात:

- (i) नोटिस, आदेश, अथवा अन्य किसी संचार का प्रेषण;
- (ii) इस नोटिस, आदेश अथवा किसी अन्य संचार के उत्तर में व्यक्ति से किसी सूचना अथवा दस्तावेज की प्राप्ति;
- (iii) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उत्तर की पावती का निर्गम;
- (iv) लॉग-इन खाता सुविधा, अपील का पता करना, संगत व्यौरों का प्रदर्शन तथा डाउनलोड सुविधा सहित “ई-अपील” का उपाबंध;
- (v) अपीलीय कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सहित सूचना तथा उत्तर की पहुँच, सत्यापन तथा अधिप्रमाणन;
- (vi) प्राप्ति, भंडारण तथा केंद्रीकृत रीति से सूचना अथवा दस्तावेजों की पुनः प्राप्ति;
- (vii) संबंधित केन्द्रों तथा यूनिटों में साधारण प्रशासन तथा शिकायत निवारण तंत्र;
- (viii) अपील का अतिरिक्त आधार फाइल करना;
- (ix) अतिरिक्त साक्ष्य दाखिल करना;
- (x) उक्त स्कीम के पैरा(v) के उपपैरा(1) के खण्ड(xix) के उपखण्ड(क) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट राशि;
- (xi) परिस्थितियां जिनमें उक्त स्कीम के पैरा 12 के उपपैरा(3) में संदर्भित व्यक्तिगत सुनवाई को अनुमोदित किया जाएगा।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 77/2020/फा.सं.370142/33/2020-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव